



भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
(A Constitutional Body set up under Art. 338A of the Constitution of India)


सं. 21/1/NCST/2020-Admn.

छठा तल बी विंग लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली - 110003
दिनांक 15-04-2021

कार्यालय आदेश

श्री आर.के.दुबे, सहायक निदेशक को एतद्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में कार्यरत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कोरोना महामारी से संबंधित निर्देशों की जानकारी देने, सतर्कता और सावधानियाँ बरतने के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने तथा निर्देशों का अनुपालन कराने हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाता है ।

इसे सक्षम प्राधिकारी के निर्देश से जारी किया गया है ।


(डॉ. ललित लहा)
निदेशक

प्रतिलिपि:

1. अध्यक्ष के निजी सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली ।
2. सदस्य के निजी सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली ।
3. सचिव की प्रधान स्टाफ अधिकारी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली ।
4. संयुक्त सचिव के निजी सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली ।
5. उपसचिव की डी.ई.ओ, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली ।
6. निदेशक के डी.ई.ओ, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली ।
7. अवर सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली ।
8. सहायक निदेशक (समन्वय प्रकोष्ठ एवं RU-II), (प्रशासन एवं RU-III), (रा.भा.), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली ।
9. अनुसंधान अधिकारी (RU-IV), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली ।
10. एन.आई.सी द्वारा एनसीएसटी वेबसाइट, व्हाट्सएप इमरजेंसी ग्रुप और नोटिस बोर्ड में अपलोड करने हेतु
11. हिन्दी अनुभाग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली ।